Reform : Building - Bye-laws.

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
:: आदेश ::

नया रायपुर दिनांक 28/5/2016.

कमांक/2038/1521/2016/32 :: भवन अनुज्ञा हेतु भवन की संरचना रूपांकन वास्तुविद/इंजीनियर/संरचना इंजीनियर/नगर योजनाकार/पर्यवेक्षक द्वारा तैयार की जाती है। यदि संरचना रूपांकन गलत है तो इस स्थिति पर वर्तमान में इनकी जिम्मेदारी तय करने की कोई व्यवस्था नही है। अतः इनकी जिम्मेदारी के निर्धारण हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक–23, सन 1973) की धारा 73(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांत प्रसारित करता है:–

(1) संबंधित वास्तुविद/इंजीनियर/संरचना इंजीनियर/नगर योजनाकार/पर्यवेक्षक के द्वारा गलत संरचना रूपांकन प्रस्तुत करने के विरूद्ध प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि उसे कार्य से वंचित अथवा काली सूची में डाला जा सकता है अथवा छत्तीगसढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 31(3) अथवा प्रचलित संबंधित विधि के अनुसार समुचित कार्यवाही की जा सकेगी तथा यह भी कि प्रकरण के निराकरण होने तक पेशेवर नवीन प्रस्ताव जमा नहीं कर सकेंगे परन्तु इस हेतु उनको व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर स्पीकिंग आदेश पारित करेगा। उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी. एल. सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

- 30 -D:\Baruaa-2016\bhumi vikas f-7-18.2015

क्रमांक /२०३८/1521/2016/32 नया रायपुर, दिनांक २३/5/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
3. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

Reforms: Building Bye-laws.

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
:: आदेश ::

नया रायपुर दिनांक 25/5/2016.

कमांक /2038/1521/2016/32 :: Ease of Doing Business के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एकल खिडकी प्रणाली के माध्यम से किया जाना है जिसमें भवनों का स्थल निरीक्षण आवश्यक है। प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु राज्य शासन, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक–23, सन 1973) की धारा 73(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भवनों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित करते हुए विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुज्ञा, पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र के स्थल निरीक्षण हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांत प्रसारित करता है:–

1. निर्माण किये जाने वाले भवनों को जोखिम के अनुसार निम्नानुसार तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है :–

   (एक) कम जोखिम वाले भवन – 09 मीटर ऊंचाई तक तथा भू–खण्ड का आकार 120 वर्गमीटर तक

   (दो) मध्यम जोखिम वाले भवन – 09 मीटर से 12.5 मीटर ऊंचाई तक तथा आवासीय उपयोग हेतु भू–खण्ड का आकार 200 वर्गमीटर तक एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 1000 वर्गमीटर तक।

   (तीन) उच्च जोखिम वाले भवन – 12.5 मीटर ऊंचाई से अधिक तथा आवासीय भू–खण्ड का आकार 200 वर्गमीटर से अधिक एवं औद्योगिक भू–खण्ड 1000 वर्गमीटर से अधिक ।

   (1) कम जोखिम वाले भवनों की दशा में स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र के साथ केवल एक बार प्लींथ लेबल पर स्थल निरीक्षण किया जावेगा।

(2) मध्यम जोखिम वाले भवनों में वास्तुविद/इंजीनियर के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ एक बार निरीक्षण किया जावेगा ।

(3) उच्च जोखिम वाले भवनों की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 34 के अनुसार विहित स्तर पर स्थल निरीक्षण आवश्यक होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी. एल. सांकला)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक /2028 /1521/2016/32 नया रायपुर, दिनांक 28/5/2016

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
3. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव